राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2385877, FAX: 2227602, Toll Free Helpline: 15100)

[E-mail: rj-slsa@nic.in, G-mail: rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in]

क्रमांकः–F3(37)/RSLSA/DS-II/PLV/ 38502-38536 दिनांकः– 07.02.2018

प्रेषितिः–

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान।

विषयः– पीएलवी एवं पैनल अधिवक्ता को मानदेय व यात्रा व्यय के भुगतान बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी पैरा लीगल वॉलियन्टर्स स्कीम (संशोधित) एवं लीगल एड क्लिनिक स्कीम, 2010 के प्रावधानों में संशोधन करते हुए राल्सा के कार्यालय आदेश क्रमांक 311 दिनांक 27.06.2017 द्वारा पैनल अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के मानदेय में निम्नानुसार वृद्धि की जाकर उक्त संशोधित मानदेय दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी किया गया था:–

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान में भुगतान किया जा रहा मानदेय	संशोधित मानदेय
1	पैनल अधिवक्ता	500 रुपये प्रति विजिट	1000 रुपये प्रतिदिन (अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह)
2	पैरा लीगल वॉलियन्टर्स	250 रुपये प्रति विजिट	500 रुपये प्रतिदिन (अधिकतम 7,000 रुपये प्रति माह)

पैनल अधिवक्ता एवं पीएलवी को कार्यदिवस पर विजिट करने के लिए निवास स्थान से कार्यस्थल की दूरी का यात्रा व्यय का भुगतान उपरोक्त संशोधित मानदेय के अतिरिक्त अलग से किया जाना है (अर्थात पैनल अधिवक्ता को 1,000 रुपये प्रतिदिन + यात्रा व्यय व पीएलवी को 500 रुपये प्रतिदिन + यात्रा व्यय)।

मानदेय की अधिकतम सीमा होने के बाद भी यात्रा व्यय पृथक से दिया जावेगा (अर्थात पैनल अधिवक्ता को अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह + यात्रा व्यय व पीएलवी को अधिकतम 7,000 रुपये प्रति माह + यात्रा व्यय)।

प्रत्येक पीएलवी अथवा पैनल अधिवक्ता को कार्यदिवस पर विजिट के दौरान उनके निवास स्थान से कार्यालय स्थल तक आने जाने के लिए बस या रेल का उपयोग करने पर साधारण किराया या तीन रुपये प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा खर्चा दिया जाएगा। यदि प्रत्येक पीएलवी अथवा पैनल अधिवक्ता द्वारा आने जाने हेतु स्वयं का निजी वाहन उपयोग में लिया जाता है तो उन्हें तीन रुपये प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा खर्चा दिया जाएगा। यदि विधिक जागरूकता टीम के सभी सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से एक साथ निजी अथवा प्राइवेट कार का उपयोग किया जाता है तो 06 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा तथा वाहन की व्यवस्था टीम के इन्चार्ज द्वारा की जा सकती है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वाहन की उपलब्धता करवाने पर पैनल अधिवक्ता अथवा पीएलवी को यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

सादर,

भवदीय,

(एस.के.जैन)
सदस्य सचिव
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)